कार्यालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 60/2023 (GCMS 2023/334)
(आईटीआई पोर्टल नं. 21251303885832)

रविन्द्र, गांव पोस्ट ऑफिस रेहान, तहसील फतेहपुर, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश–176022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>बनाम</u>

प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

<u>02.12.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलाथी रविन्द्र उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी रविन्द्र ने प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगांगनगर से अपने आवेदन पत्र दिनांक 31.10.2023 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही थी, जो प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी रविन्द्र ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 31.10.2023 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना चाही थी, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ 41(5)( )/आरटीआई/राजस्व/2024/ दिनांक 12.09.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:32:22 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

> प्रार्थी श्री रविन्द्र द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 212959858173932(नया नम्बर 212349540594679) श्रीमान् अति. जिला कलक्टर एवं लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक 1559485179 दिनांक 31.10.23 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को हस्तांतरित की गयी थी। उक्त आरटीआई प्रार्थना पत्र का प्रति उत्तर उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ द्वारा दिया जाना था। इस कार्यालय स्तर पर उक्त आरटीआई प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है। सूचनार्थ प्रेषित है।
>
> -sd-
> प्रभारी अधिकारी
> राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट,
> श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार प्रेषित किया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी का मूल पत्र उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को हस्तान्तरित किया गया है। जिला अनूपगढ़ का गठन होने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ का क्षेत्राधिकारी जिला कलक्टर, अनूपगढ के अधीन आता है इसलिए **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है।** इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जाती है। प्रार्थी यदि उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ के जवाब से असंतुष्ट हो तो, उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ नियम की पालना की जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:32:22 IST
Reason: SelfAttested

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर